फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

शांतिदेवी
बनाम
गवरीदेवी वगै.

किस्म मुकदमा 225 आर.टी एक्ट न. 21 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2025	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता एवं केवियटर अधिवक्ता उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 328/2023 बअनवान शांतिदेवी बनाम गवरीदेवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 30.01.2025 के विरूद्ध पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटन ने स्थगन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना पारित किया गया। उतरदातागण द्वारा सड़क पर अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटस का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता उतरदाता ने स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस द्वारा मौके पर उतरदातागण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने हेतु उपरोक्त अपील पेश की गई। अपीलांटस द्वारा अपील में स्थगन आदेश प्राप्त कर उतरदाता द्वारा अपने पुराने मकान में मरम्मत का कार्य किया जा रहा है उसे बंद करवाने पर उतारू है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मामले को अनावश्यक चुनौति देने की मंशा से हस्तगत अपील पेश की गई। उतरदातागण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता। उतरदातागण अपीलाधीन आराजी का बेचान नहीं करेंगे। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु उतरदातागण के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण का स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। उतरदातागण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित कर उसके उपयोग एवं उपभोग में बाधा कारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। मूल वाद बंटवारे का है। बंटवारे के वाद के निस्तारण होने तक पक्षकारों को व्यादेश से उसके हक अधिकारों में	

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बाधा उत्पन्न करना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हितों पर कोई कुठाराघात नहीं हुआ है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं है। उपरोक्त विवेचन तथा उतरदाता अधिवक्ता द्वारा दी गई अण्डरटेकिंग के आलोक में उभयपक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौजा कुड़ी तहसील कल्याणपुर के खेत खसरा संख्या 15 व खसरा संख्या 16 में वर्णित भूमि का बेचान नहीं करे। अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो आदेश सरे इजलास सुनाया गया। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे।

19/2/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर